पिछले अंक की आमुख कथा शिक्षा का अधिकार कानून पर थी। प्रदेश में साक्षरता, स्कूल, कॉलेज और उच्च स्तरीय शिक्षा का खूब बोलबाला है। लेकिन भ्रष्टाचार शिक्षा व्यवस्था की जड़ों में मट्‌ठा डालने का काम भी कर रहा है। शिमला के पत्रकार ***सुरेश शांडिल्य*** *ने समय-समय पर इस खेल को बेनकाब किया है। उनकी यह टिप्पणी हम इस आशय से दे रहे हैं कि सरकार गंभीरतापूर्वक पूरी शिक्षा प्रणाली को चाक चौबंद करे।*

- मैंने शिमला विश्वविद्यालय के बहुचर्चित फर्जी डिग्री (अंकतालिका) मामले का साल 2007 में पर्दाफाश करने का प्रयास किया था। शिमला में एक दलाल अस्सी हजार रुपये में बीए की डिग्री बेचने का दावा कर रहा था। पुलिस को इस बात का विश्वास दिलाने के लिए मैंने उसके साथ लगभग 12 मिनट का वार्तालाप रिकार्ड किया था। इस रिकार्डिंग को आधार बनाकर 80 लाख रुपये में बीए की डिग्री शीर्षक से एक खबर अमर उजाला के मुख्यपृष्ठ पर छपी। दलाल से हुए वार्तालाप को भी छापा गया। यह प्रिंट मीडिया में शिमला में अलग ही तरह का एक स्टिंग आपरेशन करने का प्रयास था। बाद में शिमला पुलिस ने मेरी खबर को आधार मानकर इस संबंध में शिमला के बालूगंज थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा - 420, 467, 468, 471 और 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज की। दलाल शिमला से ही फरार हो गया। कुछ दिनों के बाद कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उसने पुलिस के समक्ष सरेंडर किया। इसके बाद कुछ समय तक यह मामला दबा रहा। बाद में अपने दो दोस्तों के सहयोग से मैंने कुछ ऐसे प्रमाण दिए, जिनके आधार पर पुलिस को इस फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने में आसानी हुई। वह शिमला के निकटवर्ती स्कूल का एक ड्राइंग मास्टर निकला। पुलिस ने पंजाब से भी एक कथित डाक्टर को पकड़ लाया। इसी डाक्टर की मदद से यह ड्राइंग मास्टर अंकतालिकाएं बनाता रहा। बाद में इसे शिक्षा विभाग ने निलंबित भी कर दिया। इस शिक्षक के सिखाए कुछ बदमाश मुझसे मारपीट करने के प्रयास में रहे। इन लोगों ने मुझे मालरोड पर घेर लिया था। पुलिस के सहयोग से मैं इनसे निपटने में कामयाब रहा। बाद में शिमला में पुलिस के एक कार्यक्रम में मुझे इस कार्य के लिए हिमाचल पुलिस के तत्कालील डीजीपी अश्वनी कुमार, जो कि बाद में सीबीआई निदेशक बन गए थे और हाल ही में रिटायर हुए हैं और हिमाचल के प्रथम डीजीपी आईबी नेगी ने सम्मानित भी किया। अब तक इस मामले का कोर्ट में चालान पेश करने के बाद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चल रहे होने की सूचना है।
- हाल ही में शिक्षा बोर्ड में हुआ मामला तो राज्य की शिक्षा नीति की एक बहुत बड़ी खामी है। एक व्यक्ति कहीं बैठा डींगें मार रहा था कि वह तो परीक्षा में बैठे बिना ही पास हो गया। इस बात को सुनने वाले किसी अज्ञात व्यक्ति ने बोर्ड के एक अधिकारी को फोन किया। इसके बाद इस अधिकारी ने इस फोन को गंभीरता से लिया, तो मामले की जांच में पाया कि वह तो सच में परीक्षा में अनुपस्थित था, मगर उसे प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया था। इस प्रकरण की अधिकांश कवरेज हमारे धर्मशाला स्थित कार्यालय के पत्रकारों ने ही की है। शिमला से तो उसके महज फोलोअप या आंशिक कवरेज ही की गई है। जहां तक मुझे याद है इस प्रकरण की अमर उजाला में हुई कवरेज धर्मशाला में हुए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी गूंजी। इस मामले ने जहां हिमाचल के शिक्षा में अव्वल होने के सम्मान पर कालिख पोती है, वहीं इसने सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा का नारा दे रही यहां की व्यवस्था की एक बहुत बड़ी खामी का भी पर्दाफाश किया। खैर, सुखद यह भी है कि देर आयद दुरुस्त आयद ही सही हिमाचल की सरकार ने इस मामले को खूब गंभीरता से लिया है।
- लगभग दो साल पहले हिमाचल प्रदेश के पूर्व बागवानी मंत्री सिंघी राम और राज्य शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष बीआर राही एक ऐसे ही फर्जीवाड़े में गिरफ्तार हो चुके हैं। ये दोनों ही कई दिनों तक पुलिस हिरासत में रहे। उस समय जब हम लोग इस मामले की कवरेज करने जाते थे, तो एक दिन पूर्व मंत्री जी ने परेशान होकर यहां तक कह दिया था, लिखो-लिखो खूब लिखो। इस पर हम लोगों ने उन्हें जवाब दिया था कि हम तो अपना काम कर रहे हैं। आप जब सत्ता में होते थे, तब भी तो सकारात्मक खबरें छपती थीं। आज भी तथ्य छाप रहे हैं। शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष पर इस मामले में आरोप रहा है कि उन्होंने पूर्व मंत्री के कहने में आकर उनकी बेटी को जमा दो का प्रमाणपत्र जाली तरीके से दिला दिया। यही नहीं, उसके नंबर उस साल की टापर से भी आगे निकाल लिए। खैर, अब यह मामला कोर्ट में है। पूर्व मंत्री से संबंधित यह मामला शिक्षा बोर्ड की शिक्षा-परीक्षा नीति में छिद्रों की गंभीर चेतावनी थी। इसी के बाद से बोर्ड में गंभीर मानिटरिंग की आवश्यकता महसूस हुई थी।
- हाल ही में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भी तो अंकतालिका जालसाजी मामला सामने आया है। इस मामले में भी वही व्यक्ति मास्टरमाइंड के रूप में गिरफ्तार किया गया है, जो वर्ष 1997 में विश्वविद्यालय के जाली अंकतालिका मामले में पकड़ा जा चुका है। वह एक बार फिर से पकड़ा न जाता, अगर रामपुर की एक युवती का प्रमाणपत्र विश्वविद्यालय की कंम्प्यूटर शाखा में वैरिफाई न होता।
- वर्ष 2007 में जब हम लोगों ने अंकतालिका फर्जीवाड़े को उजागर किया था, तो उस वक्त तत्कालीन राज्य गृह सचिव एस. विजय कुमार ने विश्वविद्यालय को सलाह (सुझाव या निर्देश जो भी कहें) दी थी कि आगे से अंकतालिकाओं अथवा डिग्रियों पर होलोग्राम लगाए जाने चाहिए। मगर यह आज दिन तक नहीं हुआ। अब इन पर फोटो लगाने की बात जरूर की जा रही है।
- हिमाचल शिक्षा में अव्वल होने के लाख तमगे ले ले, मगर जालसाजी की इस तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए एक सक्षम तंत्र बनाए बिना ये वास्तविक चमक नहीं बिखेरेंगे। इस दिशा में वास्तव में गंभीर कार्य किए जाने की जरूरत है।